



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25032022-234438
CG-DL-E-25032022-234438

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1274]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 24, 2022/चैत्र 3, 1944

No. 1274]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 24, 2022/CHAITRA 3, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2022

का.आ. 1316(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, झारखण्ड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिले में ROB(RBK-21) निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण के कि.मी. 154.800 से 156.625 तक उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

झारखण्ड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH75E पर ROB(RBK-21) निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	डिस्ट्रिक्ट लेन्ड एक्विजिशन औफसर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH75E के कि.मी. 154.8 से 156.625 तक	झारखंड	वेस्ट सिंघभूम		
					झींकपानी	1 बिस्तामपुर
						2 मटागुटू

[फा. सं. RW/Ranchi/LA/RBK-21/NH-75E/JHR/2021-22]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2022

S.O. 1316(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for Construction of ROB (RBK-21) Km. 154.800 to 156.625 of West Singhbhum district in the State of JHARKHAND.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH75E from Km. 154.800 to Km. 156.625 of west singhbhum district of Jharkhand state.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village					
1	2	3	4	5	6	7					
1	District Land Acquisition Officer	154.8KM To 156.625KM	JHARKHAND	WEST SINGHBHUM	<table><tr><td rowspan="2">Jhinkpani</td><td>1</td><td>Bistampur</td></tr><tr><td>2</td><td>Matagutu</td></tr></table>		Jhinkpani	1	Bistampur	2	Matagutu
Jhinkpani	1	Bistampur									
	2	Matagutu									

[F. No. RW/Ranchi/LA/RBK-21/NH-75E/JHR/2021-22]

RAJESH GUPTA, Director